13

न्यायालय : श्रीमान राजस्व मंडल (ग्वालियर) म.प्र.

---

1. सूरज प्रसाद तिवारी बल्द रामशंकर तिवारी
2. श्रीमति मीरा तिवारी पत्नि सूरज प्रसाद तिवारी
3. सुरेन्द्र तिवारी पिता सूरज प्रसाद तिवारी
4. सुधीर तिवारी पिता सूरज प्रसाद तिवारी

सभी निवासी रोजगार कार्यालय के पीछे तिली वार्ड सागर (म.प्र.)

---आवेदकगण

//विरूद्ध//

रामेश्वर दयाल श्रीवास्तव तनय जमना प्रसाद श्रीवास्तव
निवासी- बालक काम्पलेक्स सागर, वर्तमान निवासी किड्स
अकादमी रोजगार कार्यालय के पीछे तिली वार्ड सागर

---- अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

आवेदकगण निम्नलिखित प्रार्थना करते है:-

आवेदकगण कमिश्नर, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 624/अ-70/2005-2006 मे पारित आदेश दिनांक 29/07/2008 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत है:-

//संक्षिप्त तथ्य//

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस यह है कि अनावेदक रामेश्वर दयाल द्वारा तहसीलदार सागर के न्यायालय मे धारा 250 म.प्र.भू. राजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण के दौरान ही उभय पक्षो को सूचना दिये बिना पटवारी ने मनमाने तरीके से उक्त भूमि का असत्य आधारो पर प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया जिसके विरूद्ध आवेदकगणो ने धारा 32 म.प्र.भू.राजस्व संहिता के अंतर्गत पुनः नाप एवं स्थल निरीक्षण कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 19/5/05 को निरस्त कर दिया गया। दिनांक 19/5/05 के आदेश के विरूद्ध

...2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1320—दो/08 जिला — सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.4.16	आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक कई पेशियों से अनुपस्थित है । आवेदक के अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । सदस्य	